प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3388/2007

याचिकाकर्ता:

कमल नारायण चन्द्राकर, पिता श्री अर्जुन लाल चन्द्राकर, आयु लगभग 43 वर्ष, वर्तमान में राजीव गांधी शिक्षा मिशन, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.) में विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक के रूप में कार्यरत।

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
2. प्रबंध संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, एकीकृत भवन, द्वितीय तल, पेंशन बाड़ा, रायपुर (छ.ग.)।
3. कलेक्टर, जिला महासमुंद (छ.ग.)।
4. जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका)

(एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश)

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री अनुप मजुमदार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, उप महाधिवक्ता।

-- मौखिक आदेश --

(दिनांक 04.04.2008 को पारित)

1. याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.05.2007 (संलग्नक पी/1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को राजीव गांधी शिक्षा मिशन, महासमुंद में विकासखण्ड स्त्रोत केंद्र समन्वयक के पद पर उपयुक्त न पाए जाने पर शिक्षा विभाग में वापस प्रतिप्रेषित कर दिया गया था।

2. तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 08.08.2005 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व, अर्थात दिनांक 07.08.2008 से पहले, याचिकाकर्ता को इस आधार पर शिक्षा विभाग में वापस संप्रत्यावर्तित कर दिया गया कि याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक होने के नाते दिनांक 05.05.2007 (संलग्नक पी/1) को विकासखण्ड स्त्रोत केंद्र समन्वयक/सहायक कार्यक्रम समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने हेतु अर्हता प्राप्त नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप मजुमदार ने तर्क दिया है कि आदेश दिनांक 05.05.2007 को निरस्त किया जाए क्योंकि यह कलंकपूर्ण है और यह धारित करता है कि याचिकाकर्ता के पास आवश्यक अर्हता नहीं है। द्वितीयतः, प्रतिनियुक्ति से याचिकाकर्ता की सेवाओं

को वापस बुलाने का आदेश याचिकाकर्ता की सहमति के बिना और साथ ही नियोक्ता की सहमति के बिना है। अतएव, आक्षेपित आदेश इस आधार पर विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण होने से पहले मूल विभाग में वापस बुला लिया गया था, जो बिना किसी ठोस कारणों के नहीं किया जा सकता है।

4. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एस. कछवाहा ने तर्क दिया है कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सभी प्राथमिक विद्यालयों को पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत किया गया था। प्राथमिक विद्यालयों के लिए पहले आवश्यक शिक्षक याचिकाकर्ता की तरह सहायक शिक्षक थे। उन्हें तदनुसार प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, परंतु प्राथमिक विद्यालयों के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन के बाद, अधिक अर्हताप्राप्त शिक्षकों की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता, सहायक शिक्षक होने के नाते, विद्यालयों के उन्नयन के आधार पर संप्रत्यावर्तित किया गया है। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पहले अर्हता निम्नानुसार थी:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"विकासखंड स्रोत केन्द्र समन्वयक:

(अ) स्नातक की उपाधि

अथवा

(ब) शासकीय शाला में कार्यरत व्याख्याता / शिक्षक / स० शिक्षक।

(ब) व्यापक भ्रमण एवं जनसंपर्क की क्षमता

(स) शिक्षा के प्रति रूचि एवं लगन।"

5. तत्पश्चात, उन्नयन के बाद, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक की अर्हता निम्नानुसार है:

"विकासखंड स्रोत केन्द्र समन्वयक:

अनिवार्य: 1. प्रशिक्षित शिक्षक / प्रधानपाठक, पूर्व माध्यमिक शाला / व्याख्याता।

वांछनीय: 2. अकादमिक मानीटरिंग का अनुभव को प्राथमिकता।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक भ्रमण करने की क्षमता हो।

4. परियोजना में कार्य करने का अनुभव।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के आलोक में, सभी सहायक शिक्षकों को शिक्षा विभाग में वापस बुलाना आवश्यक हो गया और जिन शिक्षकों के पास विकासखण्ड स्त्रोत केंद्र समन्वयक के लिए आवश्यक अर्हता है, वे वहां प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, अभिवचनों और संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि यह प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने से पहले केवल साधारण संप्रत्यावर्तन का मामला नहीं है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पंजाब राज्य एवं अन्य विरुद्ध इंदर सिंह एवं अन्य**[1] के प्रकरण में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर मूल

1 (1997) 8 SCC 372

संवर्ग/विभाग में प्रतिनियुक्ति और संप्रत्यावर्तन पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "18. 'प्रतिनियुक्ति' की अवधारणा सेवा विधि में भली-भांति समझी गई है और इसका एक मान्यता प्राप्त अर्थ है। सेवा विधि में 'प्रतिनियुक्ति' का एक अलग अर्थ है और 'प्रतिनियुक्ति' शब्द का शब्दकोश अर्थ किसी काम का नहीं है। सरल शब्दों में 'प्रतिनियुक्ति' का अर्थ संवर्ग के बाहर या मूल विभाग के बाहर सेवा है। प्रतिनियुक्ति किसी कर्मचारी को उसके संवर्ग के बाहर के पद पर, अर्थात किसी अन्य विभाग में अस्थायी आधार पर नियुक्त करना या स्थानांतरित करना है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद कर्मचारी को उसी पद पर बने रहने के लिए अपने मूल विभाग में वापस आना पड़ता है, जब तक कि इस बीच उसने भर्ती नियमों के अनुसार अपने मूल विभाग में पदोन्नति प्राप्त न कर ली हो। स्थानांतरण पदस्थापना के सामान्य क्षेत्र से बाहर है या नहीं, इसका विनिश्चय उस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जो उस सेवा या पद को नियंत्रित करता है जिससे कर्मचारी स्थानांतरित किया जाता है। प्रतिनियुक्त व्यक्ति की सहमति के बिना कोई प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकती है और इसलिए, वह प्रतिनियुक्ति पद पर अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को जानता होगा। प्रतिनियुक्ति और संप्रत्यावर्तन पर विधि काफी सुस्थापित है जैसा कि हमने विभिन्न निर्णयों में भी देखा है जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उमापति चौधरी विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य**[2] के प्रकरण में 'प्रतिनियुक्ति' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:

> "प्रतिनियुक्ति को एक विभाग या संवर्ग या यहाँ तक कि एक संगठन (जिसे आमतौर पर मूल विभाग या ऋण देने वाला प्राधिकारी कहा जाता है) के एक कर्मचारी (जिसे आमतौर पर प्रतिनियुक्तिकर्ता कहा

2 **(1999) 4 एस.सी.सी. 659**

जाता है) को दूसरे विभाग या संवर्ग या संगठन (जिसे आमतौर पर उधार लेने वाला प्राधिकारी कहा जाता है) को सौंपे जाने के रूप में उपयुक्त रूप से वर्णित किया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता लोक सेवा की आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए लोकहित में उत्पन्न होती है। प्रतिनियुक्ति की अवधारणा सहमति पर आधारित है और इसमें नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी की सेवाएं देने का स्वैच्छिक निर्णय और सेवा उधार लेने वाले नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवा की संबंधित स्वीकृति शामिल है। इसमें प्रतिनियुक्ति पर जाने या न जाने के लिए कर्मचारी की सहमति भी शामिल है।"

10. किसी कर्मचारी के मामले में, यदि कदाचार या अन्य आचरण या अन्य कारणों से पद के लिए उसकी उपयुक्तता पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तो सेवा उधार लेने वाला विभाग कर्मचारी को समय से पूर्व मूल विभाग में प्रतिप्रेषित कर सकता है या मूल विभाग प्रतिनियुक्त को समय से पूर्व संप्रत्यावर्तित करने पर विचार कर सकता है। (देखें रिट याचिका क्रमांक 2298/2008 (अजय शर्मा विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) और संबंधित मामले में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2008,)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत करने का निर्णय लिया है, जिसमें केवल शिक्षकों के पास ही उपयुक्त अर्हता और अनुभव है। सहायक शिक्षक इन पदों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, शासन का निर्णय न्यायसंगत और उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता की यह आशंका कि आक्षेपित

आदेश कलंकपूर्ण है, इसका कोई आधार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता का उधार लेने वाले विभाग में पद पर कोई अधिकार नहीं है। यह केवल याचिकाकर्ता का संप्रत्यावर्तन है क्योंकि सहायक शिक्षकों के पास उधार लेने वाले विभाग में पद के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है।

12. याचिका तदनुसार खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**